

मांग संख्या 41  
मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 1 से 3

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम हेतु ₹ 2000.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2425

मद क्रमांक 4

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सूखा प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन ऋणों की आंशिक माफी हेतु ₹ 3040.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 5

उदय योजनांतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को अनुदान हेतु ₹ 33064.56 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,30,64,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 6

द्वितीय अनुपूरक अनुमान में शीर्ष वर्गीकरण मांग संख्या-41, मुख्य शीर्ष 4801-06-902-0410-6758 के अंतर्गत किए गए प्रावधान ₹ 21 करोड़ के विरुद्ध पुनर्प्राप्तियां राशि ₹ 21 करोड़ समायोजित होने के कारण इस अनुपूरक में कृषि पंपों का ऊर्जाकरण हेतु ₹ 21 करोड़ का प्रावधान किया गया है । यह राशि शीर्ष वर्गीकरण 4801-06-902-40-002 के अंतर्गत पुनर्प्राप्ति के लिए भी मान्य होगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 21,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 7 से 8

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु राशि ₹ 3040.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।